

राजस्थान – सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : ई/राजपत्रित/चि0अ0/अध्ययन अवकाश संशोधन/2025/26 दिनांक : 21/01/2025

—:आदेश:—

निदेशालय द्वारा समसंख्यक आदेशों के द्वारा सेवारत कोटे से पीजी अध्ययनरत निम्न चिकित्सको के अध्ययन अवकाश/असाधारण अवकाश पूर्व में विभाग द्वारा जारी किये गये थे, जिनमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

| क्र.सं. | नाम चिकित्सा अधिकारी | पीजी/एमसीएच में अध्ययन विभाग एवं मेडिकल कॉलेज | संशोधन   |
|---------|----------------------|---|--|
| 1       | डॉ0 पंकज मीणा        | निश्चेतन<br>एसएमएस मेडिकल कॉलेज,<br>जयपुर     | इस विभाग के आदेश क्रमांक 419 दिनांक 12.10.2022 में अध्ययन अवकाश अवधि के स्तम्भ में 27.07.20 से 26.07.23 के स्थान पर 31.07.20 से 30.07.23 पढा जावे। |
| 2       | डॉ0 मनीष पूनिया      | अस्थि रोग<br>एसएमएस मेडिकल कॉलेज,<br>जयपुर    | इस विभाग के आदेश क्रमांक 22 दिनांक 13.01.2025 में चिकित्सक के नाम के स्तम्भ में डॉ0 मनीषा पूनिया के स्थान पर डॉ0 मनीष पूनिया पढा जावे।             |

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/राजपत्रित/चि0अ0/अध्ययन अवकाश संशोधन/2025/26 दिनांक : 21/01/2025  
प्रतिलिपि निम्न को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/डीपीसी (राजपत्रित), मुख्यालय।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज विभाग वैबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH  
SHARMA <directorph-r@aic.in>

Digitally Signed by Ravi  
Prakash Sharma

Designation: Director

Date :20-01-2025 11:17:52